संख्या- 410 /2024 / 3745 /चार-2024-1760669

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 19 दिसम्बर, 2024

विषय:- जनपद कुशीनगर में रामजानकी मठ भूमि पर सार्वजनिक रामलीला मैदान में बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3566/सं0नि0-6(40)/2023-24 दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 13/2024/ 7519/चार-2023 दिनांक 04 जनवरी, 2024 जनपद कुशीनगर में रामजानकी मठ भूमि पर सार्वजनिक रामलीला मैदान में बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु रू0 195.16 लाख की प्रशासकीय तथा रू0 55.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या-242/2024/1654 /चार-2024 दिनांक 13 जून, 2024 द्वारा रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 193.10 लाख है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद कुशीनगर में रामजानकी मठ भूमि पर सार्वजनिक रामलीला मैदान में बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु टेण्डर कास्ट के अनुसार लागत रू0 193.10 लाख के सापेक्ष सेंटेज चार्ज रू0 15.13 लाख रोकते हुए अवशेष धनराशि रू0 72.97 लाख (रूपये बहत्तर लाख सत्तानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि निर्गत करने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 13/2024/ 7519/चार-2023 दिनांक 04 जनवरी, 2024 तथा शासनादेश संख्या- 242/2024/1654 /चार-2024 दिनांक 13 जून, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये रू0 72,97,000/- (रूपये बहत्तर लाख सत्तानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 092 लेखाशीर्षक 42020480041 00 सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या - 410 /2024 / 3745 (1) /चार-2024-1760669 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
7- मुख्य महाप्रबंधक (प्रथम/ तृतीय), सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-19, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गोरखपुर।
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।